

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एम-11/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० स्मृति रानी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (ई०एन०टी०), सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा द्वारा पूर्व में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर NPS अंतर्गत की गयी सेवा (दिनांक-25.05.2016 से 02.08.2020 तक) को वर्तमान सेवा (विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी) के साथ परिगणित करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एम-11/2026- 1864(2) पटना, दिनांक 3/8/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा/अधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा/जिला कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० स्मृति रानी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (ई०एन०टी०), सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा/ प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डी०पी०एम०यू० लीड, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव